

आज दिनांक 17.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 01 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त नाम पता राजदेव निषाद पुत्र टुअर निवासी तेजपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी चौकी पौली उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

● थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3310 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल 03 लोगों को पहुँचाया गया अस्पताल— पीआरवी 3310 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत कटरा मिश्र से इवेन्ट संख्या 12085 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट होने से 03 लोगों के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर तत्काल पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल हुए लोगों को इलाज हेतु जरिए एंबुलेंस से प्रा0स्वा0केन्द्र मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शांत कराकर व विवाद में घायलों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ—आ0 विनोद कुमार यादव, हो0चा0 शशीकान्त।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 73 वाहनो से 76,000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 17.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 73 वाहनों से 76,000 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।